

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में, तारीख सहित
3

7

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, कोडरमा।

विविध अपील वाद संख्या-02/2025

प्रसंग:- बसंत कुमार वर्मा

बनाम

राज्य एवं अन्य

आदेश

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी बसंत कुमार वर्मा पिता-स्व० बाबुलाल कोयरी, साकिन-ताराटांड, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा के द्वारा अंचल अधिकारी, कोडरमा सदर के विविध वाद संख्या-24/2020-21 दिनांक-02.03.2021 में पारित आदेश के विरुद्ध अपील वाद दायर किया गया है।

अपीलार्थी की ओर से प्राप्त अपील आवेदन पर उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर कारण पृच्छा एवं भूमि से संबंधित कागजात की मांग की गई।

प्रथम पक्ष द्वारा समर्पित अपील आवेदन में वर्णित है कि अधिकारी कोडरमा के द्वारा विविध वाद संख्या-19/2019-20 में पारित आदेश दिनांक-09.10.2020 तथा इसी आदेश में सुधार के लिये प्रारंभ किया गया विविध वाद संख्या-24/2020-21 में पारित आदेश दिनांक-02.03.2021 के साथ भूमि सुधार उपसमाहर्ता, कोडरमा के द्वारा विविध अपील वाद संख्या-01/2007-08 मसोमात जुगेश्वरी बनाम श्यामलाल महतो वगैरह में पारित किये गये आदेश दिनांक 17.07.2010 का अनुपालन नहीं करने के आलोक में यह अपील दायर किया गया है।

यह कि अंचल अधिकारी कोडरमा को भूमि सुधार उप समाहर्ता, कोडरमा के द्वारा विविध अपील संख्या 01/2007 08 में दिनांक-17.07.2010 को पारित किये गये आदेश के आलोक में कारवाई किया जाना चाहिए था लेकिन अंचल अधिकारी, कोडरमा के द्वारा वरीय न्यायालय का आदेश का अवहेलना करते हुए नया विविध वाद प्रारम्भ कर आदेश पारित किया गया है। वर्णित भूमि का कोई नापी किसी भी अमीन से नहीं करवाया गया जिसके वजह से खतियानी रैयत के वारिशन किस भूमि पर तथा कितना रकवा पर दखलकार है और दखल के अनुसार जमाबन्दी में सुधार कर मालगुजारी रसीद निर्गत किये जाने का आदेश देना चाहिए था लेकिन अंचल अधिकारी कोडरमा के द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं किया गया।

अभिलेख में संलग्न कागजातों, अपीलार्थी का अपील आवेदन, उत्तरवादी द्वारा समर्पित जवाब एवं अंचल अधिकारी, कोडरमा द्वारा प्राप्त निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि से संबंधित अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय विविध अपील वाद संख्या-01/2007-08 मसो० जुगेश्वरी देवी बनाम श्यामलाल महतो एवं अन्य में आदेश पारित किया जा चुका है। साथ ही निम्न न्यायालय के अभिलेख में किये गये पारित आदेश में यह जिक्र नहीं किया गया है कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में अधोहस्ताक्षरी के

3

न्यायालय विविध अपील वाद संख्या-01/2007-08 मसौ0 जुगेश्वरी देवी बनाम श्यामलाल महतो एवं अन्य में पारित आदेश का अनुपालन किया गया है या नहीं ? जब भूमि सुधार उपसमाहर्ता कोडरमा के न्यायालय में विविध अपील वाद संख्या-01/2007-08 निष्पादित हो चुका है तो अंचल कार्यालय में पुनः विविध वाद संख्या-24/2020-21 का अभिलेख खोलना उचित नहीं था उसमें अनुपालन करना चाहिए था। जबकि आपके द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया।

अतः अंचल अधिकारी, कोडरमा सदर के विविध वाद संख्या-24/2020-21 दिनांक-02.03.2021 में पारित आदेश को निरस्त करते हुए अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय विविध अपील वाद संख्या-01/2007-08 मसौ0 जुगेश्वरी देवी बनाम श्यामलाल महतो एवं अन्य में पारित आदेश का नियमानुसार अंचल अधिकारी, कोडरमा को अनुपालनार्थ प्रेषित।



भूमि सुधार उपसमाहर्ता
कोडरमा।


16/10/25

भूमि सुधार उपसमाहर्ता
कोडरमा।